धारा 102 : अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि

प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [1][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] [2][यथास्थिति, धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग] के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश में संशोधन कर सकेगा, ताकि अभिलेख को देखने से ही प्रकट होने वाली किसी त्रुटि को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी त्रुटि प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [3][या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक [4][या अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण] द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाई जाती है :

परन्तु ऐसी किसी परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने, अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की रकम को कम करने के रूप में होता है, को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलाथी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''धारा 98 या धारा 101'' के बाद अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''या अपीलार्थी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।